हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984

(1984 का अधिनियम संख्यांक 55)

[23 अगस्त, 1984]

पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत का आधुनिकीकरण करने के लिए और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जिससे पोतों, जलयानों और यानों का आयात कम किया जा सके तथा उक्त उपक्रमों द्वारा धूसर लौह, अलौह और मिश्रधातु को ढालकर बनाई गई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिससे उक्त वस्तुओं का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रदाय जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण का हित साधन किया जा सके, हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों का, उनकी उपलभ्य आधारिक संरचना का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अर्जन और अंतरण करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, अपने उपक्रमों के माध्यम से, पोत-निर्माण, पोत-मरम्मत, साधारण इंजीनियरी और अन्य क्रियाकलापों में लगी हुई है ;

कंपनी के पास पोतों और अन्य जलयानों और यानों के विनिर्माण के लिए देश की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्षमता और आधारिक संरचना है ;

ऐसे जलयानों और यानों के उत्पादन में वृद्धि से ऐसे जलयानों और यानों का आयात करने की देश की आवश्यकता कम हो जाएगी और इससे देश विदेशी मुद्रा की बचत कर सकेगा ;

कंपनी धूसर लौह, अलौह और मिश्रधातु को ढालकर बनाई गई वस्तुओं के, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए मर्मभूत है, उत्पादन में भी लगी हुई है ;

कंपनी, मुख्य रूप से नए विनिधानों और आधुनिकीकरण के अभाव में कई वर्षों से भारी हानि उठा रही है ;

कंपनी के उपक्रमों को चलाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त धनराशि और विनिधानों की आवश्यकता है किन्तु कंपनी की गंभीर प्रतिकूल वित्तीय दशा की दृष्टि से वह ऐसा विनिधान सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है ;

कंपनी द्वारा अपने ऋणों का संदाय करने की असमर्थता के कारण, उसके समापन से ऐसे पोतों, जलयानों और यानों का विनिर्माण करने के लिए देश की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उससे लोक हित पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

पूर्वोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कंपनी के उपक्रमों का अर्जन करना आवश्यक है, जिससे केन्द्रीय सरकार पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत के लिए (जिसके अंतर्गत जलयानों और यानों का उत्पादन भी है) और धूसर लौह, अलौह और मिश्रधातु को ढालकर बनाई गई वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए मर्मभूत हैं, उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विनिधान कर सके ;

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कपंनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 है ।

(2) यह 28 जून, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) "आयुक्त" से धारा 15 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "कंपनी" से हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 12, मिशन रो, कलकत्ता-700001 में है ;

(घ) "विद्यमान सरकारी कंपनी" से ऐसी सरकारी कंपनी अभिप्रेत है जो नियत दिन को कारबार में लगी हुई है ;

(ङ) "नई सरकारी कंपनी" से नियत दिन को या उसके पश्चात् बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत सरकारी कंपनी अभिप्रेत है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में, "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस उपबन्ध के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट करे, और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

अध्याय 2

कंपनी के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण

3. कंपनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अंतरण और उनका उसमें निहित होना—नियत दिन को कंपनी के उपक्रम और ऐसे उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कंपनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ की नकदी, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं ,जो नियत दिन से ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शाक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे, और तत्संबंधी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी सम्पत्तिया, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर किसी भी न्यास, बाध्यता, बन्धक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी तथा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की ऐसी किसी कुर्की, व्यादेश या डिक्री या आदेश को, जो ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करे, वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी किसी संपत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकमों में से और धारा 9 के अधीन अवधारित रकमों में से भी, बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) ऐसे किसी उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी को नियत दिन से पूर्व किसी समय अनुदत्त और नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखित ऐसे उपक्रम के संबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए ऐसे दिन को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसे उपक्रम के धारा 5 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कम्पनी में, या धारा 6 के अधीन किसी नई सरकारी कंपनी में निहित होने की तारीख से, यथास्थिति, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अनुदत्त की गई थी और ऐसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए वह कंपनी उसे उसके निबंधनों के अधीन धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, कंपनी द्वारा संस्थित या उसके विरुद्ध किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लम्बित है तो कंपनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 5 के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं या धारा 6 के उपबंधों के आधार पर किसी नई सरकारी कंपनी में अंतरित हो जाते हैं वहां ऐसी सरकारी कंपनी के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. कंपनी के उपक्रमों के किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित किए जाने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, और धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई विद्यमान सरकारी कंपनी ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है या उसने उनका अनुपालन कर लिया है तो वह अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कंपनी के उपक्रम और कंपनी के उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाय या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न हो) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कंपनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां वह सरकारी कंपनी, ऐसे निहित होने की तारीख से ही और धारा 6 के उपबंधों के आधार पर उन उपक्रमों का किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरण होने तक, ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही और ऐसे अंतरण की तारीख तक उस विद्यमान सरकारी कंपनी के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

6. कंपनी के उपक्रमों का किसी विद्यमान सरकारी कंपनी से किसी नई सरकारी कंपनी को अंतरण—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी जहां कंपनी के उपक्रमों को धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कंपनी में निहित होने का निदेश दिया गया है वहां यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई नई सरकारी कम्पनी ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, अनुपान करने के लिए रजामंद है या उसने उनका अनुपालन कर लिया है, तो वह अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि कंपनी के उपक्रम उस नई सरकारी कंपनी को अंतरित कर दिए जाएं ; और ऐसी घोषणा के जारी किए जाने पर कंपनी के उपक्रमों के संबंध में, जिनके बारे में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यमान सरकारी कम्पनी में निहित होने का निदेश दिया गया है, उसके अधिकार, हक और हित उस विद्यमान कंपनी में निहित रहने के बजाय उस तारीख से, जिसको ऐसी घोषणा की जाती है, उस नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कंपनी के उपक्रमों के संबंध में विद्यमान सरकारी कंपनी के अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां वह नई सरकारी कंपनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसे उपक्रमों के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के संबंध में विद्यमान सरकारी कंपनी के अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से उस नई सरकारी कंपनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

7. कुछ पूर्व दायित्वों के लिए कंपनी का दायी होना—(1) नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न, कंपनी का प्रत्येक दायित्व कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम किसी विद्यमान या किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां उस सरकारी कंपनी के विरुद्ध ।

(2) पोत-निर्माण और पोत-निर्माण से इतर आदेशों के लिए ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम धनों के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई दायित्व, नियत दिन से ही केन्द्रीय सरकार का या पूर्वोक्त विद्यमान या नई सरकारी कंपनी का दायित्व होगा और उसका निर्वहन केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी द्वारा किया जाएगा ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कंपनी के उपक्रमों के संबंध में कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार या जहां कंपनी के उपक्रम किसी विद्यमान या किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कंपनी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उद्भूत हुए किसी मामले, दावे, या विवाद के बारे में नियत दिन को या उसके पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार या जहां कंपनी के उपक्रम किसी विद्यमान या किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के नियत दिन के पूर्व किए गए उल्लंघन के लिए कंपनी का कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम किसी विद्यमान या किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

8. रकम का संदाय—केन्द्रीय सरकार, कंपनी के उपक्रमों का और कंपनी के उपक्रमों के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित का धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरण करने और उन्हें उनमें निहित करने के लिए कंपनी को छह सौ पचास लाख रुपए की रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

9. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, नियत दिन को प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकम कंपनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी जो धारा 8 में विनिर्दिष्ट है ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कंपनी के उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके दायित्वों का उन्मोचन कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार, धारा 8 में निर्दिष्ट रकम में से और उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम में से भी किया जाएगा ।

अध्याय 4

कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध आदि

10. कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध आदि—कंपनी के उपक्रमों के, जिनके संबंध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंध—

(क) जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, उसमें विनिर्दिष्ट विद्यमान सरकारी कम्पनी में निहित होगा ; या

(ख) जहां धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा की गई है, वहां ऐसी घोषणा की तारीख से ही, उसमें विनिर्दिष्ट नई सरकारी कंपनी में निहित होगा,

और तब, यथास्थिति, विद्यमान या नई सरकारी कंपनी सभी अन्य व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए वह कंपनी अपने स्वामित्व के उपक्रमों के संबंध में प्राधिकृत है ।

11. कंपनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियों आदि का परिदान करने का कर्तव्य—(1) कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो जाने पर, ऐसे निहित होने के ठीक पहले ऐसी कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति ऐसी सरकारी कंपनी को कंपनी के उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियां, लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें, जो उनकी अभिरक्षा में हैं, परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ऐसी सरकारी कंपनी भी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिसमें कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध संचालित किया जाएगा या किसी ऐसे विषय के बारे में जो ऐसे प्रबंध के दौरान उद्भूत हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगी ।

12. अपने कब्जे में की आस्तियों आदि का लेखा-जोखा देने का व्यक्तियों का कर्तव्य—(1) कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में या जिसके नियंत्रण के अधीन नियत दिन को कंपनी के स्वामित्वाधीन ऐसे उपक्रमों में से किसी उपक्रम से संबंधित कोई आस्तियां, लेखा बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं और जो कंपनी के हैं अथवा इस प्रकार कंपनी के होते यदि कंपनी के स्वामित्व के उपक्रम केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी में निहित न हुए होते, उन आस्तियों, लेखाबहियों, दस्तावेजों और अन्य कागजपत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और वह उन्हें केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को परिदत्त करेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार कंपनी के उन उपक्रमों का कब्जा लेने के लिए, जो धारा 3 के अधीन उसमें निहित हो गए हैं, सभी आवश्यक कदम उठाएगी या उठवाएगी ।

(3) कंपनी, ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, उस सरकार को उन उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, नियत दिन को उसकी सभी संपत्तियों और आस्तियों की संपूर्ण तालिका देगी और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को सभी उचित सुविधाएं देगी ।

अध्याय 5

कंपनी के कर्मचारियों के बारे में उपबंध

13. कर्मचारियों का बना रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, कंपनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा ; और

(ख) जहां कंपनी के उपक्रम किसी विद्यमान या किसी नई सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, ऐसे निहित होने की तारीख से ही उस कंपनी का कर्मचारी हो जाएगा,

और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के अधीन पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस दशा में अनुज्ञेय होते यदि ऐसा निधान न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप में समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देती है :

परन्तु जब तक कि उस निमित्त उस समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार नियत दिन के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की सेवा के किसी विस्तार को मंजूरी नहीं दी जाती है तब तक ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी की सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त हो जाएगा—

(क) जहां उसने नियत दिन से पूर्व या को या उससे तीन मास की अवधि के भीतर अठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या कर लेता है, तीन मास की उक्त अवधि के अवसान की तारीख को या उस तारीख को, जिसको वह नियत दिन के तुरन्त पूर्व उसे लागू होने वाली सेवा की शर्तों के अनुसार सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त हो जाएगा, इनमें से जो भी तारीख पूर्वतर हो ;

(ख) किसी अन्य मामले में, अठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के उपक्रमों में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अंतरण ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

14. भविष्य निधि और अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कंपनी ने कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के संबंध में जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को अंतरित हो जाती हैं, केन्द्रीय सरकार या उस कंपनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

15. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 8 और धारा 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे और तब आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को भी प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षतः प्रदान की गई हों, प्राधिकरण के रूप में नहीं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कंपनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अंदर, उतनी रकम नकद देगी जो,—

(क) धारा 8 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर है ; और

(ख) धारा 9 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के बराबर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, भारत के लोक खाते में, आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त कंपनी के ऐसे उपक्रमों के बारे में, जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय किया गया है, अभिलेख बनाए रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

17. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी, ऐसा कोई धन, जो कंपनी को उसके उन उपक्रमों में से किसी के संबंध में शोध्य है, जो केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी में निहित हो गया है, और जो नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से संबंध रखती है, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार होगी ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में कंपनी के किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उस सरकार या सरकारी कंपनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है; और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है, जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का निर्वहन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ने किया है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन से पूर्व के किसी संव्यवहार के संबंध में कम्पनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व निर्वहन नहीं किया गया है, उस कंपनी के दायित्व होंगे ।

18. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के उपक्रमों से संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अंदर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

19. दावों की पूर्विकता—धारा 18 के अधीन किए गए दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग 1 को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग 2 को प्रवर्ग 3 पर अग्रता दी जाएगी और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णतः संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णतः चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वे समान अनुपात में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार उनका संदाय किया जाएगा ;

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के निर्वहन का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

20. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 18 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के क्रम में क्रमबद्ध करेगा और ऐसे पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत दावों की परीक्षा करे ।

21. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई निश्चित तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख की कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो देश के एक बड़े भाग में परिचालित होता हो, और प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत आयुक्त के समक्ष, विज्ञापन में दी गई विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर, फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात्, जो उसकी राय में आवश्यक हो, और कंपनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अंतर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठकें कर सकेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने के योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है, वहां ऐसी अपील ऐसे उच्च न्यायालय को की जाएगी जो उस स्थान पर अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है और ऐसी अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

22. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात्, ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम का आयुक्त द्वारा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय किया जाएगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है, और ऐसा संदाय किए जाने पर, ऐसे दावे के संबंध में कंपनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

23. कंपनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि कंपनी के उपक्रमों के संबंध में आयुक्त को संदत्त धन में से अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त उस अतिशेष का संवितरण ऐसी कंपनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी में निहित हो गया है किंतु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति कंपनी की नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी या उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बनाए रखे जिनके अधीन नियत दिन के ठीक पूर्व उन पर कंपनी का कब्जा था ।

24. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में जमा किया जाना—यदि आयुक्त को संदत्त कोई धन उस तारीख से, जिसको आयुक्त का पद अंतिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती तारीख को असंवितरित या दावा न किया गया रह जाता है तो आयुक्त अपने पद के अंतिम रूप से परिसमापन से पूर्व उसे केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अंतरित कर देगा ; किंतु इस प्रकार अंतरित किसी धन के लिए कोई दावा, ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अंतरण नहीं किया गया था, और दावे के संदाय के लिए आदेश, यदि कोई है, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश समझा जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

25. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

26. संविदाओं का प्रभावी न होना जब तक कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा उनका अनुसमर्थन नहीं किया जाता—किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए कंपनी द्वारा अपने ऐसे उपक्रमों के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति से ही प्रभावहीन हो जाएगी, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी संविदा का केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसे उपक्रम निहित हो गए हैं, लिखित रूप में अनुसमर्थन नहीं कर देती और केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसा परिवर्तन या उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण तब तक नहीं करेगी, जब तक—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे देती है और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती है ।

27. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए केन्द्रीय सरकार या उस सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या उसके अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी के अथवा विद्यमान या नई सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

28. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का, जो इस धारा, धारा 31 और धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न हों, प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

29. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) कंपनी के किन्हीं उपक्रमों की भागरूप किसी सम्पत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कंपनी के किन्हीं उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) कंपनी के उपक्रमों से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा ; या

(घ) कंपनी के उपक्रमों से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखाबहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी को या उस सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा ; या

(ङ) कंपनी के उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा ; या

(च) इस अधिनियम के अधीन ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

30. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

31. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके अंदर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ;

(ख) वह रीति जिससे धारा 14 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि में जमा धन के बारे में कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

33. निरसन और व्यावृत्ति—(1) हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

(धारा 18, धारा 20, धारा 21 और धारा 23 देखिए)

प्रवर्ग 1

(क) कंपनी के कर्मचारियों को संदेय मजदूरी, वेतन और अन्य शोध्य रकमें ।

(ख) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, जीवन बीमा निगम प्रीमियम के लिए किए जाने वाले अभिदायों के संबंध में बकाया और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अन्य बकाया ।

प्रवर्ग 2

उधार और ब्याज, जिनके लिए भारत सरकार ने लोक वित्तीय संस्थाओं को प्रत्याभूतियां दी हैं ।

प्रवर्ग 3

निम्नलिखित द्वारा दिए गए ब्याज सहित प्रतिभूत उधार—

(क) लोक वित्तीय संस्थाएं ;

(ख) बैंक ।

प्रवर्ग 4

कानूनी शोध्य रकमें ।

प्रवर्ग 5

लोक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या अन्य लेनदारों द्वारा दिए गए ब्याज सहित अप्रतिभूत उधार ।

प्रवर्ग 6

कंपनी द्वारा कोई व्यापार या विनिर्माण संक्रिया करने के प्रयोजन के लिए लिया गया कोई ऋण ।

प्रवर्ग 7

कोई अन्य उधार या शोध्य रकमें ।

———